

२-११-१८

पत्रावली पेश हुई। पक्कान वकील उपस्थित  
है। दि. २५-१-१८ को जारी आदेश पर सुना गया है  
पक्कान वकील मूल वाद के निराकरण के कारण  
रेकार्ड की ब्याबत दिवली बनाये रखने हेतु सहमत  
है एवं शेष आदेश निर्माण का निराकरण पर भी  
सहमत है अतः सहमति के आधार पर दिनांक  
२५-१-१८ को जारी आदेश में आंशिक संशोधन  
करे हुये उभय पक्षकारों को सह वाद के निराकरण  
के दिनांक की ब्याबत दिवली बनाये रखने  
हेतु पान्डा किया जाता है। इस बाबत सूचना  
तहरीर जारी हो। फगवली फंसल शुमार होकर  
द्वै नाम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक